प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 11.09.2019 को सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन द्वारा सचिवालय स्थिति अपने कक्ष में उपाकालि की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में प्रबन्ध निदेशक श्री बी0सी0के0मिश्रा, निदेशक (परिचालन) श्री अतुल कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त) श्री नवीन कुमार गुप्ता, उपाकालि की विजिलेन्स टीम के अधिकारी SSP (Vig.) श्रीमती निवेदिता कुकरेती, ASP(Vig.) श्री हरबंस सिंह, EE(Vig.) श्री विकेक राजपूत आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सर्वप्रथम नये विद्युत संयोजन निर्गत करने तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु निर्देशित किया गया कि कार्यवाही तय समय–सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त एन0ए0 / एन0आर0 एवं आई0डी0एफ0 को कम करने हेतु जिम्मेदारी (accountability) तय किये जाने तथा मीटर को उपभोक्ता के परिसर से बाहर स्थापित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सचिव ऊर्जा द्वारा लम्बे समय से TD/PD संयोजन की चैकिंग करने हेतु आदेशित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि संयोजन चलते पाये जाते हैं तो संबंधित कार्मिक के विरूद्व तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

बैठक में राजस्व वसूली पर भी चर्चा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि माह दर माह राजस्व वसूली के विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया जाये। सरकारी विद्युत संयोजनों पर प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु शासन की ओर से आवश्यक आदेश जारी कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

यह भी निर्देश दिये गये कि शहरी क्षेत्रों में जहॉ पर 50 प्रतिशत से अधिक लाईन हानियॉ है (जैसे वितरण खण्ड रूडकी–ग्रामीण / नगरीय, रूद्रपुर, लक्सर, ज्वालापुर, काशीपुर व भगवानपुर) वहॉ पर लाईन हानियों को कम करने हेतु विजिलैन्स एवं मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व उपखण्ड अधिकारी के साथ विशेष अभियान चलाया जाने तथा 20 कि0वा0 से ऊपर समस्त उपभोक्ताओं पर 6 माह के अंतर्गत मॉडेम (ए0एम0आर0) स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सचिव (ऊर्जा) द्वारा आदेशित किया गया कि विद्युत चोरियों में यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु यह निर्देश दिये गये कि समस्त शिकायत जिसमें बिजली चोरी भी सम्मिलित है, के पंजीकरण 1912 पर ही कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 11.09.2019